तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज पीठासीन अधिकारी :– शकुन्तला, आर.ए.एस.	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये

वाद सं. 27/2020
जीसीएमएस नं. 2020/00097

रामप्रताप पुत्र नन्दराम जाति कुम्हार निवासी चक 4 जेएसडी हाल आबाद कीकरवाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज. **–वादी**

बनाम

1. बनवारीलाल पुत्र नन्दराम जाति कुम्हार निवासी 4 जेएसडी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
2. श्रीराम पुत्र नन्दराम जाति कुम्हार निवासी 4 जेएसडी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीविजयनगर **–प्रतिवादीगण**

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राज.काश्त.अधि.

उपस्थिति :–

1. श्री प्रेम चुघ, अधिवक्ता वादी
2. श्री नवीन मिढ्ढा, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1–2
3. राजपैरोकार

11.08.2025

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 29.02.2024 को वाद पत्र प्रारम्भिक डिक्री करते हुए वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से दर्ज संयुक्त खाता की विवादित भूमि चक 4 जेएसडी प.नं. 134/370 मु.नं. 116 कि.नं. 1 ता 18 में 4.554है. भूमि में वादी के 1/3 हिस्सा का तहसीलदार श्रीविजयनगर से प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया था। तहसीलदार श्रीविजयनगर के पत्रांक/भू.अ./2025/2134 दिनांक 12.06.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। वकील उभयपक्ष को विभाजन प्रस्ताव पर सुना गया। वादी स्वंय उपस्थित होकर विभाजन प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन किये जाने पर सहमति प्रकट की। बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में अंकित किया गया है कि तीनों पक्षकारों को खाले की सुविधा प्राप्त है, कि.नं. 5 के नक्का बना हुआ है तथा कि.नं. 5–6–15–16 तक मौका पर खाला चल रहा है। रकबा को कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। स्वीकृतशुदा रास्ता इस मुरब्बा के कि.नं. 25 में पूर्व में पश्चिम चल रहा है। श्रीराम पुत्र नन्दराम ने प.नं. 133/370 में 0.127है. रकबा खरीद रखा है जो मौका पर श्रीराम के कि.नं. 5 के चिपता है, श्रीराम के कि.नं. 1 में बने खाला पर पुलिया रखी है जिससे अपने रकबा में प्रवेश करता है। ऐसी स्थिति में चूंकि वादी उक्त खाता विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद डिक्री करने पर सहमत है ऐसी स्थिति में वाद पत्र अन्तिम डिक्री किया जाना उचित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद पत्र वादी आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा विवादित भूमि चक 4 जेएसडी प.नं. 134/370 मु.नं. 116 कि.नं. 1 ता 18 में 4.554है. भूमि का तहसीलदार श्रीविजयनगर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का प्रतिवादीगण से किलेवाईज विभाजन निम्नलिखित अनुसार किया जाता है :

1	वादी रामप्रताप	चक 4 जेएसडी प.नं. 134/370 मु.नं. 116 कि.नं. 13,14,15,16,17,18 की कुल [illegible]
2	प्रतिवादी सं. 1 व 2 बनवारीलाल, श्रीराम	खाता की शे[illegible]तिवादीगण के नाम से संयुक्त [illegible] में [illegible] रहेगी।

उपर्युक्त भूमि पृथक खाता में [illegible] नाम [illegible] दर्ज की जावे। शेष भूमि प्रतिवादीगण के नाम से [illegible]त संयुक्त खाता में रहेगी। अन्य अंकन भूमि की किस्म/प्रकृति [illegible] राहिन इत्यादि बदस्तुर रहेगा। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 11.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

शकुन्तला
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.09.12 12:32:11 IST
Reason: SelfAttested